(b) the date when applications for these appointments were invited and whether any selection committee was set up for making the appointments;

(c) what is the sanctioned and actual strength of the employees in the categories in the offices/ branches* and units of NAFED;

(d) whether any prescribed procedure and norms of Recruitment and Promotion, rules are adhered to and what are the reasons for violation, if any;

(e) whether Board of Directors or Chief Executive Officer of NAFED or both are responsible for the lapses in appointments; and

(f) if so, what action Government propose to take in the matter.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) to (f) National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED) is national level federation registered under the Multi-State Cooperative Societies Act, 1984. It is an Autonomous Organisation competent to take decisions on the matter relating to appointment of Staff. The information sought in the Question relates to the internal working of the organisation which does not come within the purview . of the Government. However, NAFED has made 45 casual appointments in all categories in various offices of NAFED since April, 1, 1988. Against the sanctioned strength of 1645 posts, 1303 employees are in position in various categories. The Staff regulations provide for appointment on ad-hoc basis on short term vacancies. There is no provision for constituting . Selection Committee etc. for such appointments. Even while recruiting casual/ad-hoc employees, prescribed qualifications are adhered to.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्यक्रम को लागू करने हेतु उत्तर प्रदेश में संस्थानों को दिए गए अनुदान

3223. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी कार्यक्रम को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ संस्थाओं को अनुदान दिए गये हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रकार के कार्यक्रम की क्या उपलब्धियां रहीं ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) जी, हां : स्वैच्छिक संगठनों की सहायता की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के दौरान उत्तर प्रदेश में दो स्वैच्छिक संगठनों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सहायक अनुदान मंजूर किया गया था। ब्यौरे विवरण में दिए गये हैं।

(ख) योजनाएं, चूंकि, 1988-89 के अंतिम 6 महीनों के दौरान ही मंजूर की गई थीं। अतः उनकी उपलब्धियों को निर्धारित करने का समय अभी नहीं आया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के उन स्वैच्छिक संगठनों जिन्हें 1988-89 के दौरान सहायक अनुदान मंजूर किए गए थे, के नामों और वह प्रयोजन दर्शाने वाला विवरण जिसके लिए सहायक अनुदान दिया गया था :

स्वैच्छिक संगठन का नाम	1988-89 के दौरान दिया गया सहायक अनुदान	प्रयोजन जिसके लिए सहायक अनुदान दिया गया
	(रुपए)	
ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद	1,30,167	1. अस्पृश्यता निवारण 2. गांधी साहित्य भवन 3. मुद्रण में प्रशिक्षण 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के लिए सचिवालय कार्य संस्थान 5. कार्यालय कर्मचारी
जन जागरण परिषद् सैदाबाद (इलाहाबाद)	1,14,568	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए, सिलाई तथा कसीदाकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार

उत्तर प्रदेश में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

3224. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के विकलांग व्यक्तियों को किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विकलांगों के कल्याण की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, अपनी समन्वयकारी और गति निर्धारक भूमिका में केन्द्र द्वारा विकलांगों के पुनर्वास के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों में राज्य सरकारों के साथ-साथ स्वैच्छिक संगठनों को भी सहायता दी जा रही